राजस्थान सरकार
स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान, जयपुर

क्रमांकः–एफ.55( )पी.ए. / सी.ई. / डी.एल.बी. / कोरोना / 21 / SP–2 दिनांकः–24.04.2021

आयुक्त, नगर निगम / नगर परिषद् समस्त
एवं अधिशाषी अधिकारी, नगर पालिका
(केवल जहाँ जिला / उप जिला / सेटेलाइट चिकित्सालय
स्थित हो यथा कोटपूतली एवं केकड़ी आदि)
समस्त राजस्थान।

विषयः–**कोविड़–19 जनित मृत्यु के प्रकरणों में पार्थिक देह के निर्धारित प्रोटोकॉल के अनुसार सम्मानपूर्वक अन्तिम संस्कार हेतु परिवहन की व्यवस्था बाबत्।**

उपर्युक्त विषयान्र्तगत लेख है कि राज्य में कोविड़–19 जनित मृत्यु के प्रकरणों में पार्थिक देह के निर्धारित प्रोटोकॉल के अनुसार सम्मानपूर्वक अन्तिम संस्कार किये जाने हेतु, परिजनों को पार्थिक देह को चिकित्सालय से शमशान / कब्रिस्तान / ग्रेवयार्ड तक परिवहन में किसी भी प्रकार की परेशानी उत्पन्न न हो, इसके लिए निर्देशित किया जाता है कि आप आवश्यक एम्बूलेन्स (पार्थिक देह परिवहन) की निःशुल्क व्यवस्था आवश्यकतानुसार कर, पार्थिक देह का चिकित्सालय से शमशान / कब्रिस्तान / ग्रेवयार्ड तक सम्मानपूर्वक परिवहन सुनिश्चित करेंगे। अन्तिम संस्कार हेतु आवश्यक सामग्री एवं अन्य व्यवस्थाएँ अन्तिम संस्कार स्थल पर भली–भाँति सुनिश्चित की जावें, ऐसे प्रकरणों में अन्तिम संस्कार पर होने वाला समस्त व्यय एवं एम्बूलेन्स (पार्थिक देह परिवहन) पर होने वाला व्यय, सम्बन्धित स्थानीय निकाय द्वारा वहन किया जायेगा।

आपके स्तर पर यदि आवश्यक एम्बूलेन्स की उपलब्धता में कठिनाई हो तो सम्बन्धित जिला प्रशासन अथवा RTO/DTO के माध्यम से उक्त वाहन अधिग्रहण करवाकर, उपलब्धता सुनिश्चित करेंगे। आम लोगों को इसकी जानकारी हो सकें, इसके लिए यह आवश्यक है कि अपने कार्यालय में स्थापित नियंत्रण कक्ष के दूरभाष नम्बर स्थानीय चिकित्सालय, पुलिस, प्रशासन एवं आम लोगों की जानकारी में लाने के लिए स्थानीय प्रेस के माध्यम से प्रसारित करें। उक्त एम्बूलेन्स स्थानीय निकाय में स्थित नियंत्रण कक्ष के प्रत्यक्ष नियंत्रण में चिकित्सालय / स्थानीय निकाय में रहेगी तथा पार्थिक देह के परिवहन हेतु सूचना प्राप्त होते ही, इस कार्य के लिए संधारित रजिस्टर में आवश्यक प्रविष्टि कर, सम्बन्धित व्यक्ति के नम्बर व पता देकर, नियंत्रण कक्ष द्वारा पर्ची जारी कर, अविलम्ब रवाना की जायेगी एवं वापसी में रजिस्टर में वापस प्रविष्टि अंकित की जायेगी। कोविड़–19 जनित लावारिस लोगों की मृत्यु के प्रकरणों में पूर्व की भाँति ही अन्तिम संस्कार की समस्त व्यवस्था निर्धारित कोविड़ प्रोटोकॉल के अनुसार, सम्बन्धित स्थानीय निकाय द्वारा ही की जायेगी। उक्त समस्त व्यवस्थाएँ सम्बन्धित जिला कलक्टर के निर्देशन में स्थानीय निकाय द्वारा सम्पादित की जायेगी।

यह व्यवस्था तुरन्त प्रभाव से लागू होगी।

(दीपक नन्दी)
निदेशक एवं विशिष्ट सचिव

क्रमांकः–एफ.55( )पी.ए. / सी.ई. / ड़ी.एल.बी. / कोरोना / 21 / SP–2 दिनांकः–24.04.2021

प्रतिलिपिः–सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतुः–

01. विशिष्ट सहायक, माननीय मंत्री महोदय, स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान, जयपुर।
02. निजी सचिव, शासन सचिव महोदय, स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान, जयपुर।
03. निजी सचिव, शासन सचिव महोदय, चिकित्सा शिक्षा विभाग, राजस्थान, जयपुर।
04. निजी सचिव, शासन सचिव महोदय, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, राजस्थान, जयपुर।
05. आयुक्त, परिवहन विभाग राजस्थान, जयपुर को पत्र प्रेषित का अनुरोध है कि सम्बन्धित जिला प्रशासन / नगर निगम / परिषद् / पालिकाओं द्वारा आवश्यक होने पर, उक्त वाहन अधिग्रहित कर उपलब्धता करवाने हेतु विभाग के समस्त RTO/DTO को निर्देशित करें।
06. समस्त सम्भागीय आयुक्त, राजस्थान।
07. समस्त जिला कलक्टर, राजस्थान।
08. समस्त उप निदेशक (क्षैत्रीय), स्थानीय निकाय विभाग, समस्त राजस्थान।
09. प्रोग्रामर (आई.टी. प्रकोष्ठ), निदेशालय, जयपुर को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड़ करने हेतु।
10. सुरक्षित पत्रावली।

(दीपक नन्दी)
निदेशक एवं विशिष्ट सचिव